

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व वाद सं०-६७/१९९५

आदेश

18-11-2022 प्रस्तुत अधिकार वाद आज उपस्थापित किया गया। प्रतिवादी बिहार सरकार की ओर से हाजिरी दी गयी। वादी एवं अन्य प्रतिवादी की ओर से कोई पैरवी नहीं है। वाद पुकारे कराया गया। पुकार पर वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि मुझे प्रत्युत्तर दाखिल करने का अवसर प्रदान किया जाय। साथ-ही अन्य प्रतिवादी को निर्देश दिया गया कि प्रतिवादी बिहार सरकार के दाखिल आवेदन के कॉपी को प्राप्त करने का निर्देश दिया जाय। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह ज्ञात होता है कि दिनांक-17.11.2022 को प्रस्तुत अधिकार वाद में तिथि रिकॉल करते हुए दिन-प्रतिदिन चलाने को आदेशित किया गया है। इसलिए वादी एवं अन्य प्रतिवादी को पुनः निर्देश दिया जाता है कि बिहार सरकार के दाखिल आवेदन को प्राप्त करें एवं प्रत्युत्तर दाखिल करें। वास्ते दिनांक-21.11.2022 प्रत्युत्तर, कॉपी प्राप्त करने एवं अग्रेत्तर सुनवाई हेतु।

लेखापित


अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी